न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बाली, जिला–पाली(राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी : श्री भागीरथ राम, आर.ए.एस.
राजस्व विविध प्रकरण GCMS NO 2024/ 41
दायरा तिथि : 25.01.2024
आदेश तिथि : 05-03-2024
प्रार्थी :–

श्रीमति ईन्दुबाला वैंकट पत्नि ताराचंदजी जाति मेघवाल निवासी महावीर नगर, तहसील बाडमेर जिला पाली, (राज.)

ब ना म

अप्रार्थी :–

राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार बाली

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 बाबत रेकर्डेड नया रास्ता उपलब्ध कराने

आदेश दिनांकः 05-03-2024

प्रार्थी ने निर्धारित प्ररूप में आवेदन–पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 सपठित नियम–68 प्रस्तुत कर प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम भागली पटवार हल्का पेरवा तहसील बाली के खसरा नंबर 338/1 रकबा 1.0000 हैक्टर की भूमि में आवागमन के लिए कोई विकल्प/रास्ता उपलब्ध नही होने से राजकीय सिवायचक भूमि ग्राम भागली पटवार हल्का पेरवा तहसील बाली के खसरा नंबर 337 रकबा 0.4000 हैक्टर, खसरा नंबर 338 रकबा 0.9300 हैक्टर व राजकीय सिवायचक भूमि ग्राम बिसलपुर के खसरा नंबर 1186 रकबा 1.4000 हैक्टर में से प्रार्थना पत्र के संलग्न नजरी नक्शा में लाल रंग से दर्शित ट्रेक से नया मार्ग उपलब्ध कराये जाने का निवेदन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के साथ राजस्व अभिलेखो की प्रतियां भी प्रस्तुत की गई। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के संबंध मे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 के नियमो के नियम–69(i) के अन्तर्गत एवं इस संबंध मे राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (ग्रुप–6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2) Rev.6/ 03/ pt / 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 द्वारा प्रदत्त निर्देशो के अनुसरण मे तहसीलदार बाली को मौका एवं अभिलेखीय स्थिति की जांच कर सम्पूर्ण स्थिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये। तहसीलदार बाली एवं भू.अ.निरीक्षक, बिसलपुर ने जांच कर पत्रांक/राजस्व/2024/2076 दिनांक 23.02.2024 से रिपोर्ट प्रस्तुत की। तहसीलदार बाली एवं भू.अ. निरीक्षक, बिसलपुर की जांच रिपोर्ट अनुसार :–

1. यह है कि ग्राम भागली के खसरा नंबर 338/1 रकबा 1.0000 हैक्टर भूमि प्रार्थी के नाम से खातेदारी भूमि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। खातेदार की धारित भूमि में प्रस्तावित रास्ते के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं है। आवेदक की खातेदारी भूमि में वर्तमान में कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है।
2. प्रस्तावित रास्ता ग्राम बिसलपुर के कटान मार्ग खसरा नंबर 1183 किस्म गै.मु. रास्ता से न्यूनतम दूरी का है।
3. यह है कि ग्राम बिसलपुर व भागली में रास्ते हेतू प्रस्तावित भूमि का खसरावार विवरण निम्नानुसार है:–

क्र.सं.	खसरा नंबर	रकबा हैक्टर में	किस्म	रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का क्षैत्रफल	नाम खातेदार
1	1186	1.4000 हैक्टर	बारानी सोयम	64X9.25= 592 वर्गमीटर	राजकीय सिवायचक राजस्थान सरकार
2	337	0.4000 हैक्टर	बारानी अव्वल	98X9.25=906.5 वर्गमीटर	राजकीय सिवायचक राजस्थान सरकार
3	338	0.9300 हैक्टर	बारानी अव्वल	58X9.25=536.5 वर्गमीटर	राजकीय सिवायचक राजस्थान सरकार

4. यह कि प्रस्तावित भूमि ग्राम बिसलपुर की डी.एल.सी. दर 163325 रू/– रूपये प्रति हैक्टर व ग्राम भागली की डी.एल.सी. दर 89105 रू/– रूपये प्रति हैक्टर है।
5. प्रस्तावित रास्ते की भूमि में किसी प्रकार का कोई भी निर्माण/वृक्ष नहीं है एवं न ही वृक्ष इत्यादि की क्षति है।

पेज लगातार..........02

उपखण्ड अधिकारी
बाली (जिला–पाली) राज

Scanned by CamScanner

राजस्व विविध प्रकरण संख्या : Gcms No 2024/41
अनवान ईन्दुबाला बनाम सरकार
अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

प्रकरण मे तहसीलदार, बाली द्वारा रिपोर्ट प्रेषित कर प्रार्थी की मांग अनुसार रास्ता दिये जाने बाबत अनुशंषा की गई। तहसीलदार, बाली से रिपोर्ट प्राप्त होने पर प्रकरण में प्रार्थी व पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई।

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकुलाय की बहस पर गनन के पश्चात् यह जाहिर है कि आवेदक की खातेदारी भूमि ग्राम भागली तहसील बाली के खसरा नंबर 338/1 रकबा 1.0000 हैक्टर की भूमि में आवागमन के लिए कोई रास्ता वर्तमान में उपलब्ध नहीं होने से तहसीलदार, बाली द्वारा जांच के पश्चात् अपने कार्यालय पत्रांक राजस्व/2024/2076 दिनांक 23.02.2024 से नया रेकर्डेड रास्ता प्रस्तावित किया गया है।

अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 संशोधन, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 तथा इस संबंध मे राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (ग्रुप–6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2)Rev.6/ 03/ pt/ 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 तथा राज्य सरकार राजस्व (ग्रुप–6) के परिपत्र क्रमॉकः प.3(52) राज–6/12/4 जयपुर दिनांक 14.06.2013 के द्वारा प्रदत्त निर्देशो/शक्तियो के अनुसरण मे प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम भागली पटवार हल्का पेरवा तहसील बाली के खसरा नंबर 338/1 रकबा 1.0000 हैक्टर की भूमि में आवागमन के लिए कोई विकल्प/रास्ता उपलब्ध नही होने से राजकीय सिवायचक भूमि ग्राम भागली पटवार हल्का पेरवा तहसील बाली के खसरा नंबर 337 रकबा 0.4000 हैक्टर, खसरा नंबर 338 रकबा 0.9300 हैक्टर व राजकीय सिवायचक भूमि ग्राम बिसलपुर के खसरा नंबर 1186 रकबा 1.4000 हैक्टर में से **1980वर्गमीटर** रास्ता हेतु नियमो के नियम 70 (i)(ख) के अन्तर्गत राज्य सरकार को देय प्रतिकर राशि का निर्धारण करते हुए **तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत नक्शा मौका के अनुरूप उपलब्ध कराये जाने के आदेश** दिये जाते है। राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज किये जाने से पूर्व तहसीलदार, बाली देय प्रतिकर राशि को जमा करावे। प्रतिकर राशि नियमानुसार निर्धारण की जाती है :–

खसरा नंबर	रकबा हैक्टर में	रास्ते के लिये प्रभावित क्षेत्रफल	डी.एल. सी. दर (प्रति व. मी.) रूपये	देय प्रतिकर राशि की डी.एल.सी. दर 118575/–रूपये प्रति हैक्टेयर से दुगुनी राशि	नाम खातेदार
1186	1.4000 हैक्टर	64X9= 576 वर्गमीटर	17	9792 X2=19584	राजकीय सिवायचक भूमि राजस्थान सरकार
337	0.4000 हैक्टर	98X9=882 वर्गमीटर	9	7938 X2=15876	राजकीय सिवायचक भूमि राजस्थान सरकार
338	0.9300 हैक्टर	58X9=522 वर्गमीटर	9	4698 X2=9396	राजकीय सिवायचक भूमि राजस्थान सरकार

प्रस्तावित रास्ता में अन्य कोई क्षति यथा निर्माण/वृक्ष संरचना कारित नही होने से उक्तानुसार राशि 44856/– (अक्षरे चौवालीस हजार आठ सौ छप्पन रूपये मात्र) रूपये आवेदक द्वारा बतौर प्रतिकर राशि तहसील कार्यालय में जमा करवाई जायेगी। तहसीलदार बाली व निरीक्षक भू–अभि. बिसलपुर द्वारा रिपोर्ट के साथ प्रेषित नक्शा को आदेश का भाग माना जायेगा।

तहसीलदार, बाली प्रतिकर राशि अदायगी की सुनिश्चितता कर उक्त प्रस्तावित भूमि राजस्व रेकार्ड मे बतौर **राजकीय सिवाय चक गै.मु. रास्ता** दर्ज करेंगे।

तहसीलदार, बाली उपरोक्तानुसार पालना सुनिश्चितता कर राजस्व रेकार्ड मे अमल दरामद के साथ नक्शा मे तरमीम कर पालना प्रस्तुत करे। आदेश की प्रति सभी संबंधित को पालनार्थ भिजवायी जावे। मिसल फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(भागीरथ राम)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी, बाली
उपखण्ड अधिकारी बाली (जिला–पाली) राज
दिनांक : 05-03-24

क्रमॉक/कोर्ट/2024/293-297
प्रतिलिपि निम्नांकित को पालनार्थः–

1.तहसीलदार, बाली
2.निरीक्षक भू0अ0 बिसलपुर
3.पटवारी हल्का, पेरवा
4.तहसील राजस्व लेखाकार तहसील बाली
5.आवेदक श्रीमति ईन्दुबाला वैंकट पत्नि ताराचंदजी जाति मेघवाल निवासी महावीर नगर, तहसील बाड़मेर जिला पाली, (राज.) को सूचनार्थ।

उपखण्ड अधिकारी, बाली
उपखण्ड अधिकारी
बाली (जिला–पाली) राज

Scanned by CamScanner

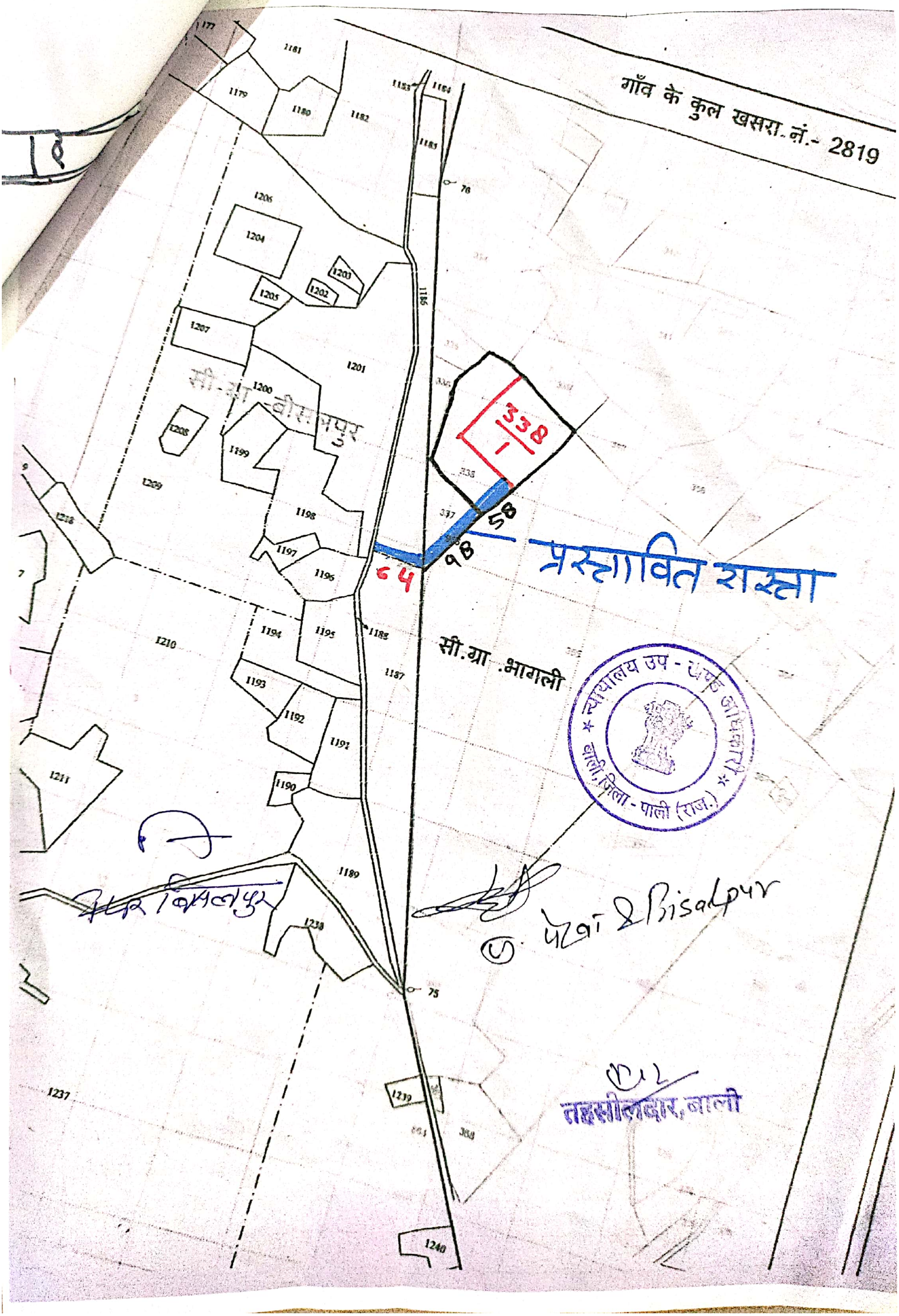

Scanned by CamScanner